खंड . 2 अंक . 11 जून 2020

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

आर.के. जैन
अध्यक्ष, के.ज.आ

संदेश

सिंधु जल संधि, 1960 के अनुसार भारत सिंधु प्रणाली की पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास और सतलज) के पानी का पूर्ण उपयोग करने के लिए हकदार है. इन नदियों पर कुछ बड़ी परियोजनाएँ नामतः भाखड़ा नांगल, पौंग, रणजीत सागर आदि पहले से ही निर्मित हैं. रावी नदी पर शाहपुरकंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है और एक अन्य परियोजना नामतः उझ बहु-उद्देशीय परियोजना को विभाग की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, जो संवर्धित उपयोग की परिकल्पना करती है. दूसरी रावी ब्यास लिंक परियोजना भी योजनाधीन है. सिंधु प्रणाली की पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास और सतलुज) में सीमा तक पानी की उपलब्धता और मौजूदा प्रणाली के माध्यम से वर्तमान उपयोग का आकलन करने की आवश्यकता है.

उपरोक्त के लिए सिंधु बेसिन के पूर्वी नदियों के पानी के इष्टतम उपयोग के लिए योजना तैयार करने के लिए के.ज.आ. के सदस्य(डीएंडआर) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. समिति की पहली बैठक 05.05.2020 को आयोजित की गई.

दिनांक 26.05.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 145वीं बैठक के दौरान ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति ने बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों से संबंधित 13 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को स्वीकार किया. ये परियोजनाएं 4.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बचाव करेंगी और लगभग 93 लाख आबादी को लाभ प्रदान करेंगी.

वर्ष 2020-23 के दौरान देश भर में बाढ़ प्रबंधन कार्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों हेतु रणनीति तैयार करने के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में 27.05.2020 को आयोजित की गई. अन्य प्रतिभागियों के साथ केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए गैर-संरचनात्मक उपायों पर एक प्रस्तुति दी गई. इस प्रस्तुति में के.ज.आ. ने बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण, बाढ़ के न्यूनीकरण में बाढ़ पूर्वानुमान जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों की प्रभावकारिता पर जोर दिया.

देश में पहली बार तीन बेसिनों (यमुना, नर्मदा, और कावेरी) के लिए विस्तारित जलविज्ञानीय पूर्वानुमान से संबंधित अध्ययन किया जा रहा है और इसके के लिए मई, 2020 में अमेरिकन फर्म आरटीआई को काम सौंपा गया है. विस्तारित जलविज्ञानीय पूर्वानुमान (ईएचपी) हाइड्रोलॉजिकल वैरिएबल्स का पूर्वानुमान है, जो आमतौर पर मासिक / मौसमी जल प्रवाह है या साधारण भाषा में यह भविष्य में दिनों / सप्ताह या मौसमों के समय के पैमाने पर कैचमेंट में जल उपलब्धता का पूर्वानुमान है. जल आवंटन, सूखे का प्रबंधन करने और पानी के उपयोग के प्रबंधन व योजना बनाने के लिए जल प्रवाह का कुशल और विश्वसनीय पूर्वानुमान अत्यधिक महत्वपूर्ण है.

एक अन्य उल्लेखनीय घटनाक्रम में बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गयी है. इस परियोजना के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) वेब-सक्षम मूल्यांकन प्रणाली अर्थात ई-पीएएमएस के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा के.ज.आ. को अप्रैल, 2020 में प्रस्तुत की गई थी. इसे के.ज.आ. और सीईए द्वारा तेजी से मूल्यांकित किया गया और मई, 2020 में आवश्यक सहमति सूचित की गई. इस परियोजना की अनुमानित लागत रु. 21000 करोड़ (मूल्य स्तर- 2019-20) है, जिसमें वार्षिक सिंचाई, बिजली उत्पादन, पेयजल और औद्योगिक जल घटकों को क्रमशः 266580 हे., 500 मेगावाट, 30 एमसीएम और 500 एमसीएम के रूप में प्रस्तावित किया गया है. के.ज.आ. ने वेब-आधारित सेवाओं और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के मूल्यांकन के अपने काम को जारी रखा.

के.ज.आ. ने 1 मई से ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि शुरू की है और आने वाले महीनों में इसे पूरे भारत में शुरू किया जाएगा. यह बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण गैर-संरचनात्मक उपायों में से एक है.

आईएमडी के मौसम पूर्वानुमानों के आधार पर यह आशा की जाती है कि जून से शुरू होने वाला जल वर्ष बहुत अच्छा होगा और इस कोविड -19 वैश्विक महामारी की वजह से इस कठिन समय में जल संसाधन परियोजनाएं देश की सेवा के लिए अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार हेतु सर्वोत्तम संभव तरीके से काम करेंगी.

पोलावरम परियोजना

विषय वस्तु

- विस्तारित जलविज्ञानीय पूर्वानुमान (ईएचपी)
- संपूर्ण देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए रणनीति और नदी प्रबंधन गतिविधियों के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक
- कोसी-मेची लिंक के लिए बैठक
- बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना
- परियोजना स्वीकृति
- असम की सुकला परियोजना की ईआरएम
- आईआईटी, रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन
- पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत एसएमआई और आरआरआर स्कीम के लिए समीक्षा बैठक
- रिक्तियों के संदर्भ में बैठक
- डीआरआईपी
- उत्तर कोयल के लिए 26वीं टीईसी बैठक
- मुख्य कृष्णा नदी पर स्थित परियोजनाओं से मानसून की अवधि के दौरान अधिशेष जल के विनियमन के लिए गठित समिति
- ऊपरी भद्रा परियोजना
- बाढ़ की तैयारी हेतु बैठकें
- मई, 2020 के दौरान बाढ़ की स्थिति
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घाघरा और राप्ती नदियों में किए जा रहे ड्रेजिंग कार्यों का दौरा
- घग्गर बेसिन का गणितीय मॉडल अध्ययन
- सिंधु बेसिन के पूर्वी नदियों के पानी के इष्टतम उपयोग की योजना तैयार करने के लिए गठित समिति की बैठक
- आदि बद्री बांध, सोम-सरस्वती बैराज का निर्माण
- पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना
- प्रशिक्षण
- डाटा कार्नर
- दीर्घा
- जल क्षेत्र समाचार
- इतिहास - भाखड़ा हेतु दृष्टिकोण

विस्तारित जलविज्ञानीय पूर्वानुमान(ईएचपी)

देश में पहली बार तीन बेसिनों (यमुना, नर्मदा, और कावेरी) के लिए विस्तारित जलविज्ञानीय पूर्वानुमान (ईएचपी) से संबंधित अध्ययन एक सलाहकार के माध्यम से के.ज.आ. द्वारा किया जा रहा है. यह कार्य राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के अंतर्गत किया जाएगा. पूर्व में दुनिया के बहुत कम देशों ने ही इस कार्यकलाप को अपनाया है. विस्तारित जलविज्ञानीय पूर्वानुमान (ईएचपी) हाइड्रोलॉजिकल वैरिएबल्स का पूर्वानुमान है, जो आमतौर पर मासिक / मौसमी जल प्रवाह है या साधारण भाषा में यह भविष्य में दिनों/सप्ताह या मौसमों के समय के पैमाने पर कैचमेंट में जल उपलब्धता का पूर्वानुमान है. जल आवंटन, सूखे का प्रबंधन करने और पानी के उपयोग के प्रबंधन व योजना बनाने के लिए जल प्रवाह का कुशल और विश्वसनीय पूर्वानुमान अत्यधिक महत्वपूर्ण है.

चयनित सलाहकार को उपरोक्त कार्य को सौंपने की स्वीकृति का प्रस्ताव मार्च 2020 के दौरान मंत्रालय को भेजा गया. इस संबंध में माननीय जल शक्ति मंत्री ने प्रस्ताव पर उनके समक्ष एक प्रस्तुति की इच्छा जताई और इस मामले में एक बैठक 15.05.2020 को बुलाई गई. श्री प्रशांत कुमार, निदेशक(बीपी-II), के.ज.आ. ने ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. और के.ज.आ. के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में माननीय मंत्री को ईएचपी पर एक प्रस्तुति दी. इसके बाद मंत्रालय की मंजूरी के आधार पर 20.05.2020 को आरटीआई, यूएसए को ईएचपी का कार्य सौंपा गया. के.ज.आ. और आरटीआई, यूएसए के बीच अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद कार्य शुरू होगा.

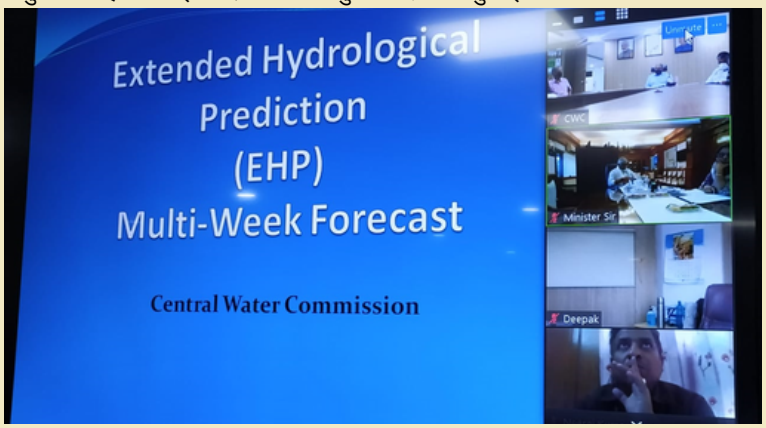

संपूर्ण देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए रणनीति तैयार करने और नदी प्रबंधन गतिविधियों तथा सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्यों *(2020-23)* हेतु समिति की दूसरी बैठक

वर्ष 2020-23 के दौरान देश भर में बाढ़ प्रबंधन कार्यों और सीमा क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों हेतु रणनीति तैयार करने के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में 27.05.2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की गई. अन्य प्रतिभागियों के साथ केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए गैर-संरचनात्मक उपायों पर एक प्रस्तुति दी गई. इस प्रस्तुति में के.ज.आ. ने बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण, बाढ़ के न्यूनीकरण में बाढ़ पूर्वानुमान जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों की प्रभावकारिता पर जोर दिया गया.

उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया गया है. उपरोक्त उप-समिति बाढ़ प्रबंधन के निम्नलिखित तीन केंद्र-बिंदु क्षेत्रों में रणनीति/प्रस्ताव तैयार करने में मुख्य समिति की सहायता करेगी.

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपाय

नए दिशानिर्देशों का निर्धारण, मूल्यांकन और बाढ़ प्रबंधन योजनाओं को वित्त पोषण के लिए शामिल करने की प्रक्रिया, वर्ष 2020 से 2023 के दौरान एफएमबीएपी योजना के मौजूदा आरएमबीए व एफएमपी घटक के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता, परियोजनाओं के वित्त पोषण का स्वरुप, निगरानी तंत्र, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक उपकरणों का उपयोग, बजटीय प्रावधान तथा योजना का परिव्यय.

बाढ़ प्रबंधन के गैर संरचनात्मक उपाय

बाढ़ पूर्वानुमान हेतु समग्र रणनीति, मौजूदा बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क का आधुनिकीकरण और इसका प्रसार, बाढ़ और इनफ़्लो पूर्वानुमान के लिए एसओपी की समीक्षा, जलाशयों का एकीकृत संचालन, बड़े बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार करना, बांध सुरक्षा के पहलू, बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण, आप्लावन मानचित्रण, बाढ़ प्रवण क्षेत्र का वैज्ञानिक आकलन, क्षमता निर्माण, बाढ़ पूर्वानुमान में अंतरिक्ष तकनीक के अनुप्रयोग.

नदी प्रबंधन गतिविधियाँ और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य

रणनीतिक महत्व के कारण आरएमबीए योजना के दायरे एवं इसके अंतर्गत योजनाओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में परिवर्धन या परिवर्तन.

कोसी-मेची लिंक पर बैठक

बिहार की कोसी-मेची इंट्रास्टेट लिंक नहर परियोजना बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिलों में नए कमान क्षेत्र में सिंचाई के लिए मानसून अवधि के दौरान महानंदा बेसिन में मेची नदी में कोसी नदी के अधिशेष जल के डायवर्जन की परिकल्पना करती है. दिनांक 08.07.2016 को आयोजित मंत्रालय की सलाहकार समिति की 129वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और इसे कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया गया.

दिनांक 11.10.2019 को ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की निवेश मंजूरी समिति की 11वीं बैठक के दौरान बिहार के प्रस्तावित कोसी-मेची इंट्रास्टेट लिंक की निवेश मंजूरी पर विचार किया गया. बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. इस बात की जांच करने के लिए एक बैठक करेंगे कि क्या प्रस्ताव नेपाल के साथ मौजूदा समझौते के दायरे में है.तदनुसार, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. द्वारा 04.11.2019 को परियोजना प्रस्ताव की समीक्षा की गई. सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. और डीजी, एनडब्लूडीए के साथ-साथ डब्लूआरडी, बिहार सरकार के अधिकारियों ने फरवरी, 2020 के महीने में परियोजना स्थल का दौरा किया.

श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 15.05.2020 को बिहार के कोसी-मेची इंट्रास्टेट लिंक प्रोजेक्ट पर एक बैठक के.ज.आ. मुख्यालय में हुई. इस बैठक में के.ज.आ. और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के अधिकारियों ने भाग लिया जबकि आयुक्त(एफएम), ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय और बिहार सरकार के अधिकारीगण इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि निवेश मंजूरी के लिए कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक परियोजना पर विचार किया जा सकता है और बिहार सरकार, कोसी और गंडक परियोजनाओं पर संयुक्त समिति को प्रस्ताव के बारे में सूचित करेगी तथा निवेश मंजूरी समिति की बैठक से पूर्व इस आशय का एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगी.

बोधघाट एमपीपी

छत्तीसगढ़ सरकार ने बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पीएफआर) को 02.04.2020 को वेब सक्षम परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली (ई-पीएएमएस) माध्यम से के.ज.आ. को जमा किया. इस 266580 हे. वार्षिक सिंचाई वाली परियोजना की अनुमानित लागत रु 21000.04 करोड़ (मूल्य स्तर 2019-20) है. बिजली उत्पादन, पीने के पानी और औद्योगिक पानी के घटकों को क्रमशः 500 मेगावाट, 30 एमसीएम और 500 एमसीएम के रूप में प्रस्तुत किया गया है.

यह परियोजना छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है. इसमें बांध, जल संवाहक प्रणाली, पावर हाउस और टेल रेस चैनल का निर्माण प्रस्तावित है, ताकि 125 मेगावाट की चार टरबाइन द्वारा 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन एवं टेल रेस चैनल के माध्यम से मंधेर नदी में जल प्रवाह किया जा सके. मंधेर नदी पर एक पिकअप वियर से निकलने वाली गुरुत्व नहर द्वारा 92.27 क्यूमेक अधिकतम हेड डिस्चार्ज का उपयोग करने का प्रस्ताव है. इससे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के लिए पीने और औद्योगिक पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने का भी प्रस्ताव है. इसके अलावा यह बताया गया है कि बोधघाट परियोजना के निर्माण से छत्तीसगढ़ 131.12 टीएमसी पानी का उपयोग करेगा.

श्री जी.के. अग्रवाल, मुख्य अभियंता, पीएओ, के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 15.05.2020 को स्क्रीनिंग कमेटी ने चर्चा की और बोधघाट एमपी परियोजना, छत्तीसगढ़ के पीएफआर की स्वीकृति के लिए सिफारिश की. इस बैठक में के.ज.आ., सीईए, छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारी उपस्थित थे. के.ज.आ. ने कुछ नियमों और शर्तों के साथ बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है.

परियोजना की स्वीकृति

सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति की 144वीं और 145वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 08.05.2020 और 26.05.2020 को आयोजित की गई, जिसमें संशोधित उझ बहुउद्देशीय परियोजना और 13 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर क्रमशः विचार और स्वीकृति हुई.

इन परियोजनाओं को नीचे तालिका में संक्षेपित किया गया है.

क्रम सं.	परियोजनाएं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना का प्रकार	अनुमानित लागत (रु.करोड़ और मूल्य स्तर)	लाभ
1.	उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना का संशोधित डीपीआर	जम्मू व कश्मीर	वृहत , बहुउद्देशीय, राष्ट्रीय परियोजना	9167 (दिसम्बर 2019)	सीसीए - 40716 हे. वार्षिक सिंचाई - 76929 हे.
2.	बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना चरण III (बी)	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	913.215 (2018)	क्षेत्र- 130900 हे. आबादी- 50.40 लाख
3.	बाली टोला (नाज़रमीरा) से सबलपुर पचियारी टोला तक गंगा नदी के बाएं किनारे पर कटाव-रोधी कार्य	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	45.10 (2019)	क्षेत्र- 1553 हे. आबादी- 0.5 लाख
4.	25.00 किमी से 31.610 किलोमीटर तक रिवेटमेंट के साथ बायें भूतही बालन तटबंध का विस्तार (घोघरडीहा से लाइन पारसा हाल्ट के पास निर्मली रेलवे लाइन तक)	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	48.44 (2019)	क्षेत्र- 16900 हे. आबादी- 3 लाख
5.	4.60 किलोमीटर की लंबाई में पारसौरी से महिषा तक विस्तारित सिकरहट्टा मजहरी निचले बंध का निर्माण	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	41.92 (2019)	क्षेत्र- 6500 हे. आबादी- 0.85 लाख
6.	बायाँ कमला बलान तटबंध पर 7.38 किमी (गाँव - तेरहा, 36.60 किमी) गाँव -रखवारी) और दायाँ कमला बालन तट पर 40.60 किमी (गाँव-गोपालखा), 47.30 किमी (गाँव-नरुआर), 55.80 किमी (गाँव-काठीवार), 57.50 किमी (गाँव-काकोढ़ा), 71.80 किमी (गाँव- कुम्हारौल), और किमी 79.60 (गाँव- बाथ मंसारा) में दरार बंद करने का कार्य	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	74.11 (2019)	क्षेत्र- 72300 हे. आबादी- 7.5 लाख
7.	वैशाली जिले के राघोपुर ब्लॉक में गंगा नदी के बाएं चैनल के दाहिने किनारे पर और दाएं चैनल के बाएं किनारे पर अलग-अलग स्थानों पर क्षरण-रोधी और मरम्मत कार्य	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	46.02 (2019)	क्षेत्र- 100000 हे. आबादी- 4 लाख
8.	भागलपुर और कटिहार जिले के अंतर्गत गंगा नदी के बाएँ और दाएँ किनारे पर स्थित विभिन्न स्थानों पर बाढ़ पूर्व क्षरण-रोधी कार्य	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	77.14 (2019)	क्षेत्र- 14910 हे. आबादी- 10 लाख
9.	बिहार राज्य में बक्सर, भोजपुर और पटना जिले में गंगा नदी के बाएँ और दाएँ तट पर अलग-अलग स्थानों पर क्षरण-रोधी / मरम्मत कार्य	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	67.87 (2019)	क्षेत्र- 76200 हे. आबादी- 13.83 लाख
10.	अयोध्या में गुप्तारघाट से जामथाराघाट तक (1.150 किमी) बंध का निर्माण करने और 0.000 से 3.900 किमी तक हरिसचंद उदय बंध की मरम्मत हेतु परियोजना	उत्तर प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	39.63 (2019)	क्षेत्र- 70.50 हे. आबादी- 0.6 लाख
11.	जिला - बिजनौर (उ.प्र) में गाँव गौसपुर, सुक्खापुर, मिर्जापुर, सिमली, राजारामपुर, और रघुनाथपुर आदि के संरक्षण के लिए गंगा नदी के बाएं किनारे पर क्षरण- रोधी और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए परियोजना	उत्तर प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	61.14 (2016)	क्षेत्र- 5525 हे. आबादी- 47950
12.	जिला बलिया (उ.प्र) गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित गाँव दुबे छपरा की सुरक्षा के लिए ड्रेजिंग और चैनलाइज़ेशन कार्यों के लिए परियोजना	उत्तर प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	30.09 (2019)	क्षेत्र- 20000 हे. आबादी- 1.4 लाख
13.	जिला - गोरखपुर (उ.प्र) में राप्ती नदी के बायें तट के मालुनी बंध के 30.300 किमी पर तरकुलानी रेगुलेटर के पास संरक्षित भाग से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के लिए संशोधित परियोजना अनुमान	उत्तर प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	84.86 (2017)	क्षेत्र- 2838 हे. आबादी- 0.32 लाख
14.	तहसील पोंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि.प्र) में यमुना और उसकी सहायक नदियों पर बाढ़ और कटाव सुरक्षा के उपाय करने के लिए डीपीआर	हिमांचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	250.46 (अप्रैल, 2019)	क्षेत्र- 480.13 हे. आबादी- 23485 (जनगणना 2011)

असम की सुकला परियोजना की ईआरएम

असम की सुकला सिंचाई परियोजना की ईआरएम से संबंधित वर्तमान स्थिति और मुद्दों पर चर्चा के लिए दिनांक 19.05.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई. श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. ने बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक के दौरान के.ज.आ. और असम परियोजना प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित थे.

सुकला सिंचाई परियोजना में एक बैराज शामिल है जो सुकला नदी पर स्थित है. सुकला नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे की सहायक नदी पुथिमरी नदी की एक सहायक नदी है. 23634 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई प्रदान करने वाली यह परियोजना 1978 में पूरी हुई थी. पूर्व में इस परियोजना ने वर्ष 1982-83 के दौरान अधिकतम 15635 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का उपयोग किया लेकिन बाद में स्पिलवे क्रेस्ट पर गिरने वाले शटर गेट, हेड -वर्क और नहर प्रणाली, नहरों में रिसाव आदि कमियों के कारण निर्मित क्षमता में धीरे-धीरे कमी आ गयी.

यह योजना वर्ष 2000 में बेकार हो गई. इस परियोजना के ईआरएम में हेड वर्क , नहर प्रणाली, संरचनाओं आदि की रिमाडलिंग करके 18400 हेक्टेयर के क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई क्षमता को बहाल करने का प्रस्ताव दिया गया है.

के.ज.आ. ने 14.01.2019 को नई दिल्ली में आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में परियोजना की ईआरएम के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए "सैद्धान्तिक" सहमति प्रदान किया था. इसके बाद परियोजना अधिकारियों द्वारा परियोजना के मूल्यांकन के लिए एक डीपीआर प्रस्तुत किया गया. के.ज.आ. के पर्यवेक्षण / टिप्पणियों से परियोजना अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है.

आईआईटी रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन

केंद्रीय जल आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, (आईआईटीआर) दोनों जल विज्ञान, जलविद्युत, जल संसाधन, पर्यावरण और संबंधित विषयों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व को मान्यता दे रहे हैं और दोनों अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों से अपने प्रयासों का समन्वय करने के इच्छुक हैं. इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 'गैर-संपर्क निस्सरण आकलन तकनीक' पर अनुसंधान परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 06.05.2020 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह अनुसंधान तीन स्थानों पर किया जाएगा, नामतः

- आगरा में यमुना पर जवाहर पुल पर के.ज.आ. की साइट
- देवप्रयाग (भगीरथी) में के.ज.आ. की साइट
- भगीरथी और अलखनंदा के संगम के बाद देवप्रयाग (गंगा) में के.ज.आ. की साइट

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत एसएमआई और आरआरआर स्कीम के लिए समीक्षा बैठक

श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. ने पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के तहत के सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों के मरम्मत,नवीकरण एवं रेस्टोरेशन (आरआरआर) स्कीम के बारे में 6.5.2020 को मंत्रालय और के.ज.आ. के अधिकारियों की एक बैठक (वीसी के माध्यम से) ली. श्री कुशविंदर वोहरा, आयुक्त(एसपीआर), ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. ने इन दोनों योजनाओं पर प्रस्तुति दी. श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. और श्री एस.के. हलधर, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ., बैठक में शामिल हुए. इस बैठक में के.ज.आ. के क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं और के.ज.आ. के संबंधित प्रबोधन निदेशकों ने भी भाग लिया.

दिशानिर्देशों के अनुसार के.ज.आ. को चल रही 20% एसएमआई योजनाओं की निगरानी करनी है. के.ज.आ.की फील्ड इकाइयां भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित आरआरआर योजना की निगरानी के साथ जुड़ी भी हुई हैं.

पृष्ठभूमि

जल निकायों की आरआरआर स्कीम

जल शक्ति मंत्रालय (पूर्ववर्ती जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण), भारत सरकार "प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के एचकेकेपी घटक के तहत जल निकायों की आरआरआर योजना" को लागू कर रहा है. यह स्कीम दसवें योजना से जारी है. दो हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक के जल विस्तार क्षेत्र वाले शहरी जल निकाय स्कीम के तहत शामिल किए जाने के पात्र हैं. 5 हेक्टेयर के न्यूनतम जल विस्तार क्षेत्र वाले ग्रामीण जल निकायों को योजना के तहत शामिल किया जाता हैं.

इस स्कीम के कई उद्देश्य हैं जैसे कि जल निकायों का व्यापक सुधार और पुनर्स्थापना जिससे टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि, भूजल पुनर्भरण, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि, कृषि/बागवानी उत्पादकता में सुधार, टैंक कमांड के जलग्रहण क्षेत्रों में सुधार, सतह और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देते हुए बेहतर जल उपयोग दक्षता के माध्यम से पर्यावरण लाभ. यह प्रत्येक जल निकाय के लिए स्थायी प्रबंधन, बेहतर जल प्रबंधन में समुदायों की क्षमता निर्माण और पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास आदि के लिए सामुदायिक भागीदारी और स्व-सहायता प्रणाली को भी बढ़ावा देता है.

बारहवीं योजना के बाद से अब तक केंद्रीय सहायता के लिए जल निकायों की आरआरआर स्कीम के तहत रु.1910.69 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 2219 जल निकायों को शामिल किया गया है.

क्रम सं.	राज्य	शामिल जल निकायों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	100	0
2.	बिहार	93	0
3.	गुजरात	61	0
4.	मध्य प्रदेश	125	121
5.	मणिपुर	4	0
6.	मेघालय	9	4
7.	ओडिशा	863	734
8.	राजस्थान	68	52
9.	तमिलनाडु	242	104
10.	तेलंगाना	575	239
11.	उत्तर प्रदेश	74	8
12.	उत्तराखंड	5	0
	कुल	2219	1262

रिक्त पदों के संदर्भ में बैठक

श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में केंद्रीय जल आयोग में रिक्त पदों को भरने की समीक्षा करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक 05.05.2020 को हुई. इस बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य(आरएम), के.ज.आ., मुख्य अभियंता(एचआरएम), के.ज.आ., सचिव, के.ज.आ., अधीक्षण अभियंता(एचओसी), वाईबीओ, के.ज.आ. और ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया. इसके अलावा उपरोक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला में केंद्रीय जल आयोग के कार्य प्रभारित स्थापना में कुशल कार्य सहायक की भर्ती के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 13.05.2020 को उन्हीं प्रतिभागियों के साथ एक और बैठक आयोजित की गई. बैठक के बाद अध्यक्ष, के.ज.आ. ने समूह 'ख' और 'ग' पदों के लिए के.ज.आ. के लंबे समय से लंबित भर्ती अनुरोधों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को एक अर्ध-शासकीय पत्र लिखा. रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित स्थापना अनुभागों को भी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया.

जिसमें से 1262 जल निकायों पर काम पूरा हो चुका है. शेष 957 जल निकायों पर काम चल रहा है. 1.889 लाख हेक्टेयर की लक्षित क्षमता के सापेक्ष 0.954 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बनाई गई है.

सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) स्कीम

1999-2000 के बाद से विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करने के लिए 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता वाली सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) स्कीम शामिल की गईं. प्रारंभ में यह विशेष श्रेणी के पहाड़ी राज्यों (8 पूर्वोत्तर के राज्यों और 4 हिमालयी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) को उनके अनुरोध पर केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था. यह इस तथ्य के मद्देनजर किया गया था कि इन राज्यों में उनकी विशिष्ट स्थलाकृतिक स्थितियां और बिखरे कमांड होने के कारण वृहत् और मध्यम सिंचाई योजनाओं के विकास के लिए बहुत कम गुंजाइश है .

इसके बाद इस योजना का विस्तार करके ओडिशा के डीपीएपी, आदिवासी, डीडीपी, बाढ़ प्रवण, वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित और कोरापुट, बलांगीर और कालाहांडी (केबीके) क्षेत्र को शामिल किया गया. प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2015-16 में शुरू की गई और एसएमआई की स्कीम अब पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी का एक हिस्सा है. विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए फंडिंग का पैटर्न @ 90% सीए है और सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए @ 60% सीए है.

बारहवीं योजना के बाद से अब तक केंद्रीय सहायता योजना के तहत रु.13148.16 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 5801 योजनाएं शामिल की गई हैं. कुल केंद्रांश रु. 11039.548 करोड़ है जिसमें से कुल रु. 7099.375 करोड़ जारी किया गया है. मार्च 2020 तक 10.332 लाख हेक्टेयर की कुल लक्षित क्षमता में से 6.5378 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा चुकी है. शेष 2997 योजनाओं पर काम चल रहा है.

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एसएमआई के अंतर्गत शामिल योजनाओं की सं.	पूर्ण योजनाओं की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	919	185
2.	असम	1010	546
3.	बिहार	176	143
4.	छत्तीसगढ़	147	102
5.	हिमाचल प्रदेश	154	21
6.	जम्मू व कश्मीर (लद्दाख सहित)	417	123
7.	झारखंड	82	44
8.	कर्नाटक	465	271
9.	मध्य प्रदेश	276	256
10.	मणिपुर	102	0
11.	मेघालय	260	97
12.	मिज़ोरम	36	0
13.	नागालैंड	704	434
14.	सिक्किम	381	225
15.	त्रिपुरा	21	12
16.	उत्तराखंड	651	345
	कुल	5801	2804

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना

डीआरआईपी शैक्षणिक भागीदारों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक

बांध सुरक्षा संस्थागत क्षमता निर्माण गतिविधियों से संबंधित प्रगति की समीक्षा करने के लिए 11 से 14 मई 2020 के दौरान डीआरआईपी के शैक्षणिक सहभागियों (एमएएनआईटी, भोपाल, एनआईटी कालीकट, अन्ना यूनिवर्सिटी, सीईटी त्रिवेंद्रम, आईआईटी रुड़की, एमएनएनआईटी इलाहाबाद, आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी मद्रास) के साथ अलग-अलग ऑनलाइन वर्चुअल वीडियो मीटिंग आयोजित की गई. इन बैठकों में शैक्षणिक संस्थानों के विभागाध्यक्षों, सीपीएमयू के अधिकारियों और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

डीआरआईपी कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक

डीआरआईपी की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए 4 से 15 मई 2020 के दौरान डीआरआईपी की कार्यान्वयन एजेंसियों (तमिलनाडु डब्लूआरडी, टीएएनजीईडीसीओ, केरल डब्लूआरडी, केएसईबी, ओडिशा डब्लूआरडी, कर्नाटक डब्लूआरडी, मध्य प्रदेश डब्लूआरडी, डीवीसी, यूजेवीएनएल) के साथ ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग की गई. परियोजना के सफल समापन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों और अड़चनों पर विचार-विमर्श किया गया. नए डीआरआईपी चरण II और चरण III के बारे में कार्यान्वयन एजेंसियों की तैयारियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई.

बांध के वॉटर प्रूफिंग के लिए बिटुमिनस जियोमम्ब्रेन अस्तर (लाइनिंग) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस

दिनांक 28.05.2020 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई जिसमें मैसर्स योईल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा "बिटुमिनस जियोमम्ब्रेन लाइनिंग फॉर डैम वाटर प्रूफिंग" पर एक प्रस्तुति दी गई. के.ज.आ., विश्व बैंक के अधिकारियों और राज्यों के प्रतिनिधियों ने बांध के वॉटर प्रूफिंग के लिए बिटुमिनस जियोमम्ब्रेन के संभावित उपयोग का पता लगाने के लिए बैठक में भाग लिया.

बांध सुरक्षा प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने के लिए वर्चुअल बैठकें

बांध सुरक्षा प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने और बांध अभियांत्रिकी में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना करने के लिए श्रीमती देबाश्री मुखर्जी, अतिरिक्त सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में क्रमशः 27.05.2020 और 29.05.2020 को आईआईटी रुड़की और आईआईटी मद्रास के साथ ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गई. बैठक में के.ज.आ., विश्व बैंक और शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक, विभागाध्यक्षों, डीन, परियोजना समन्वयकों और अन्य संकाय सदस्यों ने भाग लिया.

उत्तर कोयल के लिए 26वीं टीईसी बैठक

उत्तर कोयल परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 26वीं बैठक श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. और अध्यक्ष (टीईसी), एनकेपी की अध्यक्षता में 19.05.2020 को के.ज.आ., नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गई. इस बैठक में पटना और रांची से के.ज.आ. के क्षेत्रीय इकाइयों के अधिकारियों; औरंगाबाद, पलामू में बिहार, झारखंड की राज्य सरकारों के अधिकारियों; और गुरुग्राम व औरंगाबाद में वाप्कोस के अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से भाग लिया. श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, आईएमओ, के.ज.आ. और सदस्य सचिव, टीईसी ने बताया कि टीईसी की अंतिम बैठक अर्थात 25वीं टीईसी 16.01.2020 को हुई थी और अप्रैल 2020 में प्रस्तावित 26वीं टीईसी बैठक कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित नहीं की जा सकी थी इसलिए वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया. इस बैठक में विभिन्न विषयों की स्थिति पर चर्चा हुई, जैसेकि

- परियोजना के बांध स्थल पर काम शुरू करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की स्थिति;
- भूमि अधिग्रहण की स्थिति;
- वाप्कोस द्वारा परियोजना के विभिन्न घटकों के शेष कार्यों की प्रगति;
- दायें मुख्य नहर (आरएमसी) के कैनाल लाइनिंग में एलडीपीई शीट की मोटाई का मुद्दा;
- आरएमसी के संबंध में डब्ल्यूआरडी, बिहार सरकार द्वारा न्यूमेरिकल सिमुलेशन / मॉडल अध्ययन की स्थिति;
- परियोजना की बाईं मुख्य नहर की कंडी वितरण प्रणाली के डिजाइन और ड्राइंग की स्थिति;
- वाप्कोस द्वारा प्रस्तुत एलएमसी कार्यों से संबंधित इनवाइस के सत्यापन की स्थिति;
- परियोजना के एलएमसी कार्यों हेतु राज्य के अंश की गैर-अदायगी की स्थिति आदि.

मुख्य कृष्णा नदी पर स्थित परियोजनाओं से मानसून की अवधि के दौरान अधिशेष जल के विनियमन के लिए गठित समिति

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को आपूर्ति के लिए मुख्य कृष्णा नदी पर स्थित परियोजनाओं से मानसून अवधि के दौरान अधिशेष जल के नियमन के लिए ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गठित समिति की पहली बैठक श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, सिंचाई प्रबंधन संगठन (आईएमओ), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 13.05.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई. इस बैठक में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया.

विश्लेषण करने के लिए दोनों राज्यों से वर्तमान में अपनाए जा रहे स्वीकृत रुल कर्व, श्रीशैलम और नागार्जुनसागर जलाशयों के संबंध में 40 वर्ष का इनफ़्लो और जल उपयोग का डाटा उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया. राज्यों को यह सुझाव दिया गया कि वे 40 साल के इनफ़्लो व जल उपयोग के डाटा के आधार पर पुराने रुल कर्व को संशोधित करें. यदि आवश्यक हो तो रुल कर्व को तैयार / संशोधित करने के लिए केआरएमबी और के.ज.आ. उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं.

ऊपरी भद्रा परियोजना

श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. ने 22.05.2020 को कर्नाटक राज्य के ऊपरी भद्रा परियोजना की मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति से संबंधित बैठक ली. मुख्य अभियंता, प्रोजेक्ट कर्नाटक के साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लिया. राज्य सरकार द्वारा अभी तक अनुपालन किए जाने वाले लंबित मुद्दों जैसे कि वर्किंग टेबल्स, परियोजना की सफलता दर और परियोजना की अंतिम लागत के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी पर चर्चा की गई. सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. ने राज्य सरकार के अधिकारियों को परियोजना के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के जल्द पूरा करने के लिए के.ज.आ. को जल्दी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा.

बाढ़ की तैयारी हेतु बैठकें

बीएंडबीबीओ और आईबीओ के अलावा अन्य सभी संगठनों जिनकी बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधियां 01.06.2020 से शुरू हो रही हैं, के लिए वीसी के माध्यम से बाढ़ की तैयारी हेतु 08.05.2020 को सदस्य(आरएम), के.ज.आ. की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. इस वीसी में सभी जरूरी प्रतिभागियों ने भाग लिया. विभिन्न मण्डलों / सर्किल / संगठनों के संबंध में चर्चा का मुख्य निष्कर्ष नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

1. सभी मंडल जिनके लिए बाढ़ का मौसम 01.06.2020 से शुरू होता है, बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी सभी गतिविधियों को निश्चित रूप से शुरू करेंगे.
2. सभी टेलीमेट्री स्टेशनों का प्रचालन किया जाए. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा यह सूचित किया गया कि जहां भी आवश्यकता है विक्रेताओं से मरम्मत के लिए संपर्क किया जा रहा है और जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी जाती है इसे पूरी तरह से प्रचालित कर दिया जाएगा.
3. एमजीडी -1 और एलजीडी -1 ने बताया कि नेपाल के साथ डाटा का संचार 2018 के बाद से नहीं किया जा रहा है और नेपाल की वेबसाइट में लोड किए जा रहे जल मौसम विज्ञान संबंधी डाटा का उपयोग भारत-नेपाल सीमा के पास के स्थानों हेतु पूर्वानुमान देने के लिए किया जा रहा है. ईई(एलजीडी-1) ने बताया कि गंडक और कोसी बैराज के लिए पूर्वानुमान या तो नेपाल की वेबसाइट से या इस वर्ष 3-दिवसीय सलाहों के माध्यम से लिया जाएगा.
4. इसके अतिरिक्त, निदेशक(एफएफएम) ने अनुरोध किया कि सभी बाढ़ संबंधी जानकारी संबंधित राज्य सरकारों के स्थानीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को भेजी जाए, ताकि फ़्लड प्लेन के पास में रहने वाले कोविड19 के रोगियों हेतु खोले गए किसी संगरोध शिविर को किसी भी नदी के बाढ़ से प्रभावित होने के मामले में यह सुनिश्चित किया जा सके कि जानमाल के नुकसान और ऐसे शिविरों को क्षति होने का कोई खतरा नहीं है.

उपरोक्त के अलावा के.ज.आ. के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी विभिन्न राज्य सरकारों और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले हितधारक संगठनों के साथ इस तरह की बैठकें आयोजित की हैं. इनमें से कुछ नीचे प्रदर्शित हैं.

एमईआरओ, भुवनेश्वर

एमएसओ, बंगलुरु

एमटीबीओ, गांधीनगर

मई, 2020 के दौरान बाढ़ की स्थिति

केंद्रीय जल आयोग अपने क्षेत्रीय मण्डलों के माध्यम से हर साल बाढ़ के मौसम के दौरान वास्तविक समय के आधार पर जलवैज्ञानिक और जल मौसम विज्ञान संबंधी डाटा एकत्र करता है. इन आंकड़ों का उपयोग करते हुए 325 स्थानों (197 स्तर और 128 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशनों) के लिए बाढ़ / अंतर्वाह पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं और फैक्स / ई-मेल / एसएमएस और वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों को प्रसारित किए जाते हैं. के.ज.आ. के स्टेशनों के नेटवर्क से एकत्र किए गए आंकड़ों के अलावा, भारत के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम संबंधी डाटा और क्यूपीएफ़ भी उपयोग बाढ़ के पूर्वानुमान को तैयार करने में किया जाता है.

ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2020 से शुरू हुई. 1 से 31 मई 2020 तक की अवधि के दौरान 204 बाढ़ पूर्वानुमान (203 स्तर और 1 अंतर्वाह) जारी किए गए, जिनमें से 198 (198 स्तर और 0 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 97.05 % की सटीकता प्रतिशत के साथ सटीकता की सीमा में थे. केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मई के महीने में 31 मई तक 71 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए.

01 से 31 मई 2020 की अवधि के दौरान सुपर चक्रवाती तूफान "अम्फान" ने पश्चिम बंगाल तट को पार किया और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा असम राज्यों को प्रभावित किया. अवधि के दौरान विशेष सलाह जारी की गई. ओडिशा और पश्चिम बंगाल के किसी भी बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन ने चेतावनी स्तर को पार नहीं किया. सुपर साइक्लोन "अम्फान" के कारण बहुत भारी वर्षा के साथ पश्चिम बंगाल में एक जलाशय कोंगसबाती डैम को निर्धारित सीमा से अधिक इनफ़्लो की प्राप्ति हुई. इस अवधि के दौरान असम में ब्रह्मपुत्र बेसिन में "सामान्य से अधिक" से लेकर "गंभीर बाढ़" तक की स्थिति देखी गई.

बाढ़ की श्रेणी	एफएफ स्टेशनों पर बाढ़ की स्थिति	राज्य
गंभीर बाढ़	7	असम
सामान्य से ऊपर	9	असम

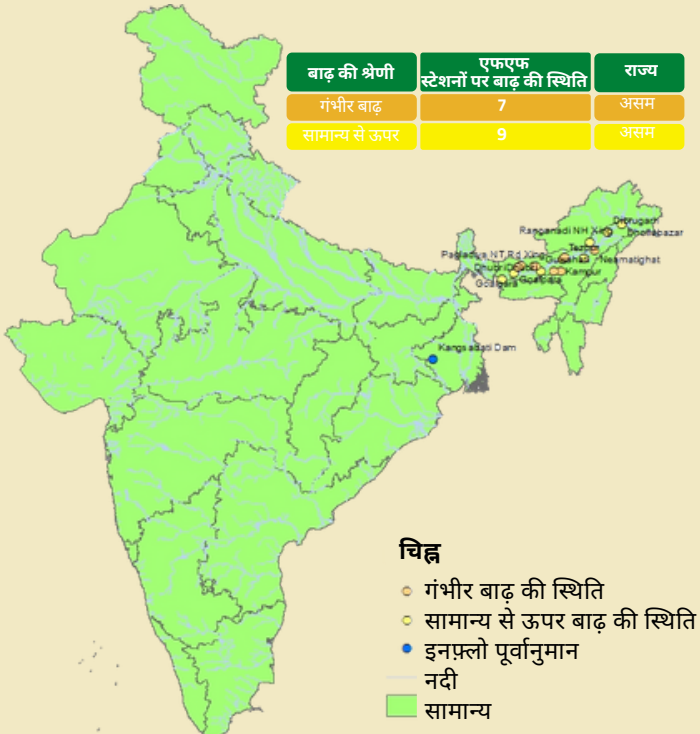

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए घाघरा और राप्ती नदियों में किए जा रहे ड्रेजिंग कार्यों पर दौरे की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी उपाय के रूप में बलरामपुर, बाराबंकी और गोंडा जिलों में घाघरा और राप्ती नदी में ड्रेजिंग का कार्य चालू किया हुआ है. यह कार्य यूपी राज्य द्वारा संतोषजनक बताया गया है और इस संदर्भ में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा यह निर्देश दिया गया कि केंद्रीय जल आयोग इन उपायों की प्रभावशीलता, परिणाम, सततता/ लागत प्रभावशीलता के लिए का अध्ययन करेगा और पर्यवेक्षण और सिफ़ारिश के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. इसके बाद इस उद्देश्य के लिए के.ज.आ., गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) और यूपी सरकार की सिंचाई और जल संसाधन विभाग से अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया. श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता, यूजीबीओ, के.ज.आ., लखनऊ के नेतृत्व में टीम ने 4 स्थानों का दौरा किया जहाँ ड्रेजिंग के कार्य किए जा रहे थे. टीम द्वारा घाघरा नदी पर तीन स्थानों नामतः एल्गिन चरसारी (जिला गोंडा), कटारिया, चांदपुर (जिला बस्ती) और लोलपुर, केशवपुर (जिला बस्ती) और राप्ती नदी पर एक स्थान नामतः भवनपुरवा (जिला बलरामपुर) का दौरा किया गया. इस संबंध में एक दौरा रिपोर्ट ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., को प्रस्तुत की गई है.

ड्रेजिंग कार्य प्रगति पर

घग्गर बेसिन का गणितीय मॉडल अध्ययन

पिछले तीन दशकों से घग्गर नदी से बाढ़ का मुद्दा सक्रिय चर्चा में है. तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय ने 26.02.1990 को घग्गर तकनीकी समिति का पुनर्गठन घग्गर स्थायी समिति के रूप में किया जिसमें सदस्य(आरएम), के.ज.आ. को अध्यक्ष के तौर पर और ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., के.ज.आ., रेलवे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से सदस्यों को रखा गया. यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट ने घग्गर नदी के मॉडल अध्ययन के लिए सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे को निर्देश दिया है. घग्गर बेसिन के गणितीय मॉडल के अध्ययन के डाटा से संबंधित मुद्दों के बारे में सदस्य(आरएम), के.ज.आ. द्वारा 08.05.2020 को अपने कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीडब्ल्यूपीआरएस, हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सभी प्रतिभागियों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि:

- वर्तमान कोविड -19 स्थिति के कारण सर्वेक्षण एजेंसी के लिए फील्ड साइटों का दौरा करना संभव नहीं होगा. इसलिए एजेंसी सर्वेक्षण किए गए डाटा को फिर से देखेगी / फिर से मूल्यांकन करेगी और 5 दिनों के भीतर सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे को क्रॉस-सेक्शन आदि से संबंधित संशोधित डाटा उपलब्ध कराएगी.
- विभिन्न संरचनाओं और संगमों के पुराने आरडी को एजेंसी द्वारा मौजूदा बेंचमार्क / लैंडमार्क की मदद से एजेंसी के सर्वेक्षण के अनुसार नए आरडी (यूटीएम निर्देशांक) में परिवर्तित किया जाए और 5 दिनों के भीतर सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे को दिया जाएगा.
- विभिन्न स्थानों पर (यू/एस से डी/एस तक) डिजाइन बाढ़ को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए घग्गर नदी हेतु संगत डिजाइन निस्सरण, राज्य सरकार द्वारा सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे को दिया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा घग्गर नदी पर स्थित विभिन्न जीडी साइटों पर उपलब्ध निस्सरण का डाटा भी सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे को दिये जाएंगे.

बैठक का समापन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि 5 दिनों के भीतर सभी संशोधित / अतिरिक्त डाटा की जानकारी, सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे को दी जाएगी और सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे अगले 24 घंटों के भीतर सभी डाटा को सत्यापित करेगा एवं मॉडल अध्ययन का कार्य 15.05.2020 तक शुरू करेगा.

सिंधु बेसिन के पूर्वी नदियों के पानी के इष्टतम उपयोग की योजना को तैयार करने के लिए गठित समिति की बैठक

सिंधु जल संधि, 1960 के अनुसार सिंधु नदी प्रणाली की पूर्वी नदियों(रावी, ब्यास और सतलज) का संपूर्ण पानी भारत को आवंटित किया गया है. इन तीन नदियों और इसकी सहायक नदियों के पूरे पानी के सम्पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सिंधु बेसिन के पूर्वी नदियों के पानी के इष्टतम उपयोग हेतु योजना तैयार करने के लिए सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. समिति की पहली बैठक 05.05.2020 को आयोजित की गई. इस बैठक में श्री पी. दोर्जे ज्ञाम्बा, निदेशक(डब्लूपीएंडपी- समन्वय) ने सिंधु नदी प्रणाली, निर्मित मौजूदा भंडारण, निर्माणाधीन भंडारण परियोजनाओं और विचाराधीन प्रस्तावित परियोजनाओं तथा नहर नेटवर्क के साथ योजनाओं, के.ज.आ. के जल -मौसम विज्ञान नेटवर्क एवं लाभान्वित अन्य एजेंसियों व राज्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया. समिति ने नोट किया कि सिंधु प्रणाली की पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास और सतलुज) में सीमा तक जल की वार्षिक उपलब्धता और मौजूदा प्रणाली के माध्यम से वर्तमान उपयोग का आकलन करने की आवश्यकता है.

आदि बद्री बांध, सोम-सरस्वती बैराज का निर्माण

हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड (एचएसएचडीबी), हरियाणा सरकार ने यमुना की सहायक नदी, सोम नदी के पानी को स्थानांतरित करके सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना तैयार की है. यह योजना हरियाणा में हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर एक ग्रैविटी बांध; सोम नदी पर बांध के एक किमी डाउनस्ट्रीम पर बैराज और एक जलाशय के निर्माण की परिकल्पना करती है. एचएसएचडीबी ने योजना के लिए के.ज.आ. से डिजाइन परामर्श की मांग की है.

परियोजना के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एचएसएचडीबी के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैठकें के.ज.आ. में आयोजित की गईं. डिजाइन (एनएंडडब्ल्यू), के.ज.आ. द्वारा बैठकों के दौरान यह अनुमान लगाया गया कि लंबी अवधि के आधार पर इसे टिकाऊ बनाने के लिए परियोजना रिपोर्ट के अनुसार उच्च गाद दरों पर विचार करने के लिए गाद अपवर्जन की एक मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता है. संशोधित जल विज्ञान अध्याय को एचएसओ, के.ज.आ. द्वारा अंतिम रूप दिया गया. इसमें ऊपरी यमुना बेसिन से पानी का अंतरण प्रस्तावित है अतः ऊपरी यमुना रिवर बोर्ड (यूवाईआरबी) की राय लेने और साथ ही राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों के बीच 17.09.1973 में घग्गर जल के उपयोग पर अंतर-राज्यीय समझौते के मद्देनजर राजस्थान सरकार को प्रस्ताव के बारे में भी सूचित करने का सुझाव दिया गया. इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य में डूब क्षेत्र को देखते हुए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया.

वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ़्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट

केंद्रीय जल आयोग के मंत्रालय का तकनीकी विंग होने के कारण बाह्य सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जल क्षेत्र के प्रस्तावों की जाँच के.ज.आ. के अंतर्गत विभिन्न विशेषज्ञ निदेशालयों द्वारा की जाती है. निदेशक(बाह्य सहायता) मामले के लिए नोडल अधिकारी है. श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. ने 19.05.2020 को विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के साथ बाह्य सहायता के लिए प्रस्तावित "वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ़्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (डब्लूबीएमआईएफएमपी)" के सिंचाई प्रबंधन पहलू से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक ली.

उक्त समीक्षा बैठक में परियोजना के सिंचाई प्रबंधन घटक के मूल्यांकन में शामिल के.ज.आ. के अधिकारियों के साथ श्री डी. सेन गुप्ता, संयुक्त सचिव और श्री एस.के. लाहा, मुख्य अभियंता, पश्चिम बंगाल सरकार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया.

प्रशिक्षण

क्रम सं.	कार्यक्रम का विषय	तारीख	आयोजक	प्रतिभागी
1	"जीआईएस का उपयोग करके ड्रेनेज एंड वाटरशेड डेलिनेशन और अधिकार क्षेत्र सीमांकन" पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण	26 मई से 5 जून, 2020	गूगल क्लासरूम प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एनडब्लूए, के.ज.आ.	के.ज.आ. के 24 अधिकारी
2	"सिंचाई और जल निकासी क्षेत्र में कोविड -19 का प्रभाव और रिकवरी " पर ग्लोबल वेबिनार	18.05.2020	वेबएक्स प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड बैंक, आईसीआईडी और 2030 जल संसाधन समूह (डब्लूआरजी)	डब्लूपीएंडपी विंग, के.ज.आ., मुख्यालय के अधिकारी
3	" बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के सतत विकास और प्रबंधन में सुरक्षा मानकों और लैड सब्सिडेन्स की भूमिका" पर वेबिनार	19.05.2020	आईसीआईडी	आरएम विंग, के.ज.आ., मुख्यालय के अधिकारी और एवं फील्ड कार्यालयों के मुख्य अभियंता व एसई / एसई (एचओसी)

डाटा कार्नर- *2019* में जारी किए गए बाढ़ पूर्वानुमा

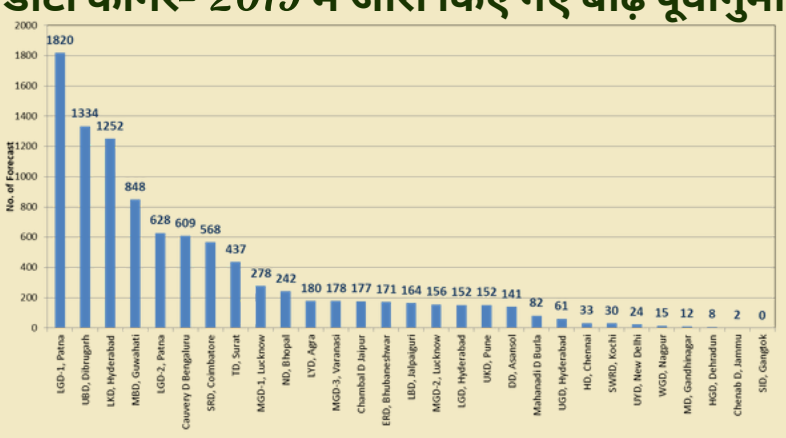

गैलरी

श्री एन.एन. राय, निदेशक, जल विज्ञान (दक्षिण) ने वीसी के माध्यम से 15.05.2020 को रिवर वैली परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 32वीं बैठक में भाग लिया

प्रबोधन (केंद्रीय) संगठन, सीडब्ल्यूसी, नागपुर द्वारा आतंकवाद विरोधी दिवस पर कार्यक्रम. इस समारोह में सभी अधिकारियों ने आतंकवाद विरोधी युवाओं को आतंकवाद से दूर करने का संकल्प लिया.

श्री डी.एस. चास्कर, एसई, एचओसी, गांधीनगर ने 5.05.2020 को मुख्य सचिव, गुजरात सरकार की अध्यक्षता में आपदा तैयारियों के लिए राज्य स्तरीय प्री मानसून समीक्षा बैठक में भाग लिया

जल क्षेत्र से समाचार

- लाक डाउन के चलते बीस साल में सबसे साफ हुई नर्मदा (दैनिक जागरण, 02.05.2020)
- चिनाब के पानी पर पाक की चिक-चिक (जनसत्ता, 10.05.2020)
- मानसून 16 मई को अंडमान निकोबार पहुँचने की संभावना (जनसत्ता, 14.05.2020)
- चार दिन देरी से आयेगा मानसून, सामान्य रहेगा (दैनिक जागरण, 16.05.2020)
- 20 साल बाद शुद्धता के उच्च स्तर पर यमुना (दैनिक जागरण, 20.05.2020)
- बिहार के 23 जिलों में 12 फीट से ज्यादा बढ़ा भूजल स्तर, कैमूर में सर्वाधिक वृद्धि (दैनिक भास्कर, 21.05.2020)
- बंगाल में तूफान ने मचाई तबाही, 72 की ली जान (दैनिक जागरण, 22.05.2020)
- तय समय से पूर्व चीन ने सतलुज नदी के पानी का डाटा शेयर करना शुरू किया (दैनिक जागरण, 23.05.2020)
- एंफन से बंगाल को एक लाख करोड़ का नुकसान : ममता (दैनिक जागरण, 23.05.2020)
- एक जून को केरल तट से टकराएगा मानसून : आईएमडी (दैनिक जागरण, 29.05.2020)

इतिहास – भाखड़ा हेतु दृष्टिकोण

वर्ष 1947 में विभाजन के साथ, पूर्वी पंजाब, पेप्सू और राजस्थान हेतु पानी के लिए बरसों पुरानी तंगहाली, प्रबल वास्तविक हो गई और एक राष्ट्रीय महत्व की समस्या के रूप में सामने आई, जिसमें न केवल अविभाजित पंजाब से अधिशेष समाप्त हो गया था बल्कि भारत के पंजाब की आवश्यकताओं ने राष्ट्रीय खाद्य संकट को बढ़ा दिया. इसलिए पंजाब की समस्या के लिए एक स्थायी उपाय की मांग की गई जो पश्चिम में सीमावर्ती राज्य में जीवन रेखा सतलुज के जल के दोहन की योजना में पाया गया. यह न तो एक मूल और न ही एक नया प्रस्ताव था. हर समय, मॉनसून के पानी का भारी हिस्सा अरब सागर तक बेकार चला जाता है, जो यदि संग्रहीत और सूखे खेतों में प्रवाहित किया जाए तो, अब या किसी भी समय, किसी भी राज्य में हिमालय के पानी का उपयोग करते हुए, बिना नुकसान पहुंचाए लाखों लोगों के भोजन के लिए फसल पैदा कर सकता है. पहाड़ के तल पर संकीर्ण सुरम्य गॉर्ज में फैले भाखड़ा बांध को सतलुज के चट्टानी तल से लगभग 680 फीट ऊँचा उठना होगा और इसके शीर्ष पर चौड़ाई 1,700 फीट तक होगी. तल के स्तर पर इसकी प्रभावी चौड़ाई 625 फीट होगी. बांध पर अवांछित बाढ़ के पानी को प्रवाहित करने के लिए चार स्टील गेटों द्वारा नियंत्रित 260 फीट लंबे एक केंद्रीय स्पिलवे को स्थापित किया जाएगा. भाखड़ा जलाशय से सिंचाई के प्रयोजनों के लिए पानी छोड़ने हेतु गणना की गई ऊंचाइयों पर प्रत्येक दो टीयर में 10 आउटलेट प्रदान किए जाएंगे. इन आउटलेट्स से 106,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी खेतों की सिंचाई के लिए अनुप्रवाह पर जा सकता है और स्पिलवे के साथ मिलाकर कुल 290,000 क्यूबिक फीट पानी जलाशय से बाहर निकल सकता है. बिजली की कुल स्थापित क्षमता 186,000 कि.वा. के क्रम में होने की उम्मीद है.

सिंचाई प्रणाली

भाखड़ा नहर प्रणाली में 2,890 मील की कुल लंबाई वाली प्रमुख और छोटे चैनलों का एक नेटवर्क बनाने की परिकल्पना है. इस प्रणाली की मुख्य फीडर नहर-भाखड़ा मेन लाइन- नांगल जल विद्युत नहर की टेल से निकलकर 108 मील लंबी होगी जिसमें इसकी सर्वत्र लंबाई में मोर्टार की सैंडविच परत वाली अभेद्य टाइल की चिनाई होगी. इससे प्रणाली की मुख्य शाखाएँ निकलेंगी जिससे दोनों तरफ की सूखी जमीनों के लिए

बहुत जरूरी 12,500 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी को संचालित किया जायेगा. भाखड़ा-नांगल जल-विद्युत परियोजना को पंजाब, पेप्सू, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की विद्युत की तात्कालिक और दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है. पारेषण प्रणाली को दीर्घकालिक आवश्यकताओं के लिए रखा जा रहा है लेकिन उत्पादन क्षमता को बिजली की मांग के विकास के आधार पर चरणों में जोड़ा जाएगा. भाखड़ा-नांगल परियोजना की समग्र बिजली प्रणाली में भाखड़ा बांध के नीचे दो बिजली घर और नांगल नहर के किनारे दो बिजली घर शामिल हैं.

गंगूवाल बिजली घर

नांगल बांध से 12वीं मील पर, गंगूवाल में नैनी देवी इलाके से होकर बहने वाला हाइडल चैनल 98 फीट नीचे गिरता है. यह बिजली घर जिसे हाल ही में शुरू किया गया है, प्रत्येक 24,000 किलोवाट क्षमता के दो जेनरेटिंग सेटों से सुसज्जित किया गया है. (बाद में 24,000 कि.वा जोड़ने के लिए तीसरे ऐसे ही सेट का प्रावधान किया गया है).

कोटला बिजली घर

नांगल हाइडल चैनल में एक और फाल से ऊर्जा बनाने के लिए कोटला बिजली घर का निर्माण हो रहा है. एक डबल सर्किट 132 केवी लाइन गंगूवाल और कोटला को जोड़ेगी. एक और लाइन दूसरे बिजली घर कोटला से लुधियाना तक चलेगी लेकिन शुरुआत में गंगूवाल बिजली घर से दोनों लाइनों पर बिजली आएगी. जब कोटला पावर हाउस जो वर्ष के अंत तक पूर्ण होना अपेक्षित है, चालू होगी तो कुल 96,000 किलोवाट की विद्युत उत्पन्न होगी जिसमें से 72,000 किलोवाट की सुनिश्चित विद्युत शक्ति होगी.

स्रोत: भगीरथ, संग्रह, के.ज.आ

केन्द्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का
एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक - मंडल

- डॉ. समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता(मा.सं.प्र.)- मुख्य संपादक
- श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ)-सदस्य
- श्री योगेश पैठणकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ)- सदस्य
- श्री पंकज कुमार शर्मा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय)-सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(डब्ल्यूएसई) व निदेशक(तकनीकी समन्वय)- सदस्य
- श्री पदमा दोर्जे ज्ञाम्बा, निदेशक(डबल्यूपीएंडपी समन्वय) -सदस्य
- श्री चैतन्य के, उप निदेशक(आईएसएम-2)-सदस्य
- श्री आर के शर्मा, उप निदेशक(डीएंडआर समन्वय)-सदस्य
- श्री शिव सुंदर सिंह, उप निदेशक(डब्ल्यूएसई)-सदस्य सचिव

अनुवाद : श्री शशि कान्त तिवारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी(डब्ल्यूएसई), के.ज.आ., नई दिल्ली

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066
ई मेल: media-cwc@gov.in